कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/24598/2017 / 10–11 / 366 भोपाल, दिनांक 06-02-18

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण)अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

श्री निशीथ सक्सेना, (भा.व.से.)
सहायक वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः– वन मंडल उत्तर बैतूल के परिक्षेत्र चोपना वनखंड लोनिया के कक्ष क्रमांक 327, 328, 329 रकबा 201.079 हेक्टयर वनभूमि में (तवा–2) भूमिगत कोयला उत्खनन का – मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, पाथाखेडा, बैतूल का प्रस्ताव।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-52/2017-FC दिनांक 24 / 01 / 2018

––––0––––

कृपया आपके संदर्भित पत्र दिनांक 24 / 01 / 2018 के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि विषयांकित प्रस्ताव के संबंध में नोडल अधिकारी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल द्वारा दिनांक 30 / 01 / 2018 को प्रस्ताव में अनुमति देने की, की गई अनुशंसा का प्रपत्र–4 तथा मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा दिनांक 03 / 02 / 2018 को अनुमति देने की, की गई अनुशंसा का प्रपत्र–5 संलग्न प्रेषित है।

2. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, पाथाखेडा क्षेत्र, बैतूल द्वारा चाही गई 201.079 हे. वनभूमि पूर्णतः भूमिगत खदान के लिये है, इस वनभूमि का कोई अन्य उपयोग नहीं किया जाना है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बैतूल ने पत्र दिनांक 05 / 02 / 2018 से अवगत कराया है कि यह खदान तवा–II खदान का विस्तार है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बैतूल का पत्र दिनांक 05 / 02 / 2018 संलग्न है।

3. उल्लेखनीय है कि मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. पाथाखेडा ने पूर्व स्वीकृत शोभापुर खदान 90.00 हे. प्रकरण में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित दुगने–बिगडे वन क्षेत्र एवं 5 गुने क्षेत्र में दाण्डिक वृक्षारोपण की अधिरोपित की गई दोनों शर्तो में छूट प्रदान करने का अनुरोध भारत सरकार से किया था। भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 21 / 09 / 2016 से म.प्र. शासन, वन विभाग का अभिमत मांगा था। इस परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 30 / 12 / 2016 से अभिमत दिया गया कि लीज अवधि वर्ष 2003 में समाप्त हो जाने के बाद भी मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा क्षेत्र में गतिविधियां जारी रखने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन बनता है, अतः दुगने–बिगडे वन क्षेत्र में एवं 5 गुना क्षेत्र में दाण्डिक वृक्षारोपण की शर्त विलोपन की मांग सही नहीं है। इस बिन्दु पर भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना शेष है। इस पर भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय से अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

06/02/18
(सुनील अग्रवाल)

-2-

पृ0 क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/24598/2017 / 10–11 / 367 भोपाल, दिनांक 06-02-18

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. वन मंडल अधिकारी, (सा.) वन मंडल, उत्तर बैतूल मध्यप्रदेश।
3. मुख्य वन संरक्षक, बैतूल वृत्त बैतूल मध्य प्रदेश।
4. क्षेत्रीय महाप्रबंधक ,वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, पाथाखेडा क्षेत्र, तह.–घोड़ाड़ोंगरी जिला–बैतूल मध्य प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नः–उपरोक्तनुसार (अ.क्र. 1 हेतु)

06/02/18

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भाग–IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जॉच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	प्रस्तावित प्रस्ताव रकबा 201.079 हेक्टयर वनभूमि में भूमिगत कोयला खनिज उत्खनन कार्य के मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, पाथाखेड़ा क्षेत्र, बैतूल के पुनर्विचार प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल का अभिमत प्राप्त कर प्रस्ताव में अनुमति देने की अनुशंसा की जाती है।

तिथिः 30/01/2018
स्थानः भोपाल

30/1/18

(सुनील अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रपत्र—V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाऐं)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर प्रस्तावित प्रस्ताव रकबा 201.079 हेक्टेयर वनभूमि में भूमिगत कोयला खनिज उत्खनन कार्य के लिये मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, पाथाखेड़ा क्षेत्र, बैतूल के पुनर्विचार प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत प्राप्त कर प्रस्ताव में अनुमति देने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 03/2/18
स्थान: भोपाल

(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय,पाथाखेडा क्षेत्र,
तह-घोडाडोंगरी, जि: बैतूल- ४६०४४९
email:cgmpkda@rediffmail.com
Website : http://westerncoal.nic.in
Ph. No: 07146 – 271363 [Fax:07146-270566]

Ref. No. WCL/PKD/AGM/PLG/2018/ Date: 05/02/2018

प्रति,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूप्रबंध)
सतपुडा भवन, भोपाल।

विषयः– Proposal for diversion of 201.079 Ha. of forest land for Tawa-II underground coal mining in favour of M/s Western Coalfields Limited, Pathakhera in Betul District State of Madhya Pradesh.

संदर्भः– MOEF letter No. F.No. 8-52/2017-FC date 24/01/2018

महोदय;

MOEF & CC New Delhi has sought following information and clarification regarding proposal for diversion of 201.079 Ha. of forest land for Tawa-II underground coal mine

(i) It is observed that the part II & III have been signed by the respective authorities on 31.07.2017 and 11.08.2017 whereas the part-IV and V signed on 08.12.2016 and 27.12.2016 i.e. prior to signed by DF/CCF. Therefore, it may be confirmed that the State Govt. has approved the revised proposal and, if so, the revised/latest part-IV and part-V may be uploaded on the website. The signed copies of the same may be given to this Ministry.

It is requested to provide revised part IV part V to MOEF & CC New Delhi

(ii) The purpose wise break up for proposed forest land may please be given.

Sl. No.	**Proposed Forest Land**	**Purpose**
1	**201.079 Ha.**	**Only for Underground Mining**

Proposed forest land is for expansion of Tawa-II UG mine and 195.20 Ha FC (FC No. 8/97/10/3 dt 09.08.1999) obtained for Tawa-II mine in which 12.708 Ha for surface and other infrastructure development.

आपकी ओर उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय
5/2/18
क्षेत्रीय महाप्रबंधक
पाथाखेडा क्षेत्र

Scanned by CamScanner